भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

पी. डी. एम. प्रभाग

सेवा भवन, रामाकृष्णा पुरम नई दिल्ली – 110066

****

सं: केविप्रा/पीएलजी/पीडीएम/545/2017/ दिनांक : 25-01-2017

सेवामें,

(सभी विद्युत उत्पादन कम्पनियों को सलंग्न सूची के अनुसार)

विषय:- देश में विद्युत उत्पादन इकाईयों के रिटायरमेंट के बारे में ।

महोदय,

विद्युत उत्पादन कम्पनियाँ इकाईयों को रिटायर करने के लिए CEA को सम्पर्क(approach) करते हैं, जबकि रिटायर करने के लिए उत्पादन कम्पनियाँ अपने टेक्नो-इकोनोमिक कारणों के आधार पर अपना निर्णय ले सकते हैं और उनकी इकाइयों के रिटायरमेंट के लिए CEA से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है ।

सभी मामले (cases), जहाँ पर उत्पादन कम्पनी उनकी इकाइयों को रिटायर करने का निर्णय ले चुके हैं, CEA द्वारा रिटायर्ड क्षमता को देश की स्थापित क्षमता से हटाने , ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाइल , ग्रिड अस्थिरता/ ओवरलोडिंग को देखने के लिए CEA को सूचित करना आवश्यक है । ऐसे में, तदनुसार CEA उपचारात्मक कार्यवाही करेगा ।

मगर विद्युत अधिनियम 2003 के सेक्शन 73(M) के अनुसार कोई भी उत्पादन कंपनी उनकी इकाई को रिटायर करने के लिए, सलाह के लिए CEA को सम्पर्क (approach) कर सकते हैं । ऐसे मामले (case) में सलाह के लिए CEA द्वारा मांगी जाने वाली आवश्यक सूचना उत्पादन कम्पनी को प्रदान करनी होगी । राज्यों/कम्पनी की सहायता के लिए इकाइयों के रिटायरमेंट मानदंड (criteria) मुल्यांकन के लिए बाद में , CEA सलाह (advisory) जारी करेगा।

मगर, यह सलाह (advice) प्राकृतिक रूप से मात्र सिफारिश (Recommendation) है , कम्पनी के ऊपर प्रतिबंधन (Binding) नहीं है , जो कि स्वयं का निर्णय, जैसा उचित समझे, इन मामलों में ले सकते हैं ।

यह आपकी सूचना और इस मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतु है ।

भवदीय,

25/1/17

(पी. डी. सिवाल)

सचिव, के.वि.प्रा.

संलग्न : यथोपरि ।

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ:-

1. पी. पी. एस., सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय
2. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के वरिष्ठ सहायक ।
3. सदस्य (योजना/जल विद्युत /तापीय/ आ.एवं वा./ जी. ओ. एंड डी. / पी.एस.), के.वि.प्रा. ।
4. केविप्रा के सभी मुख्य अभियंता ।
5. के.वि.प्रा. के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रधान ।
6. आई.टी. प्रभाग, के.वि.प्रा. को के.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।